


आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई एवं तिथि
1	2	3
09/02/2022	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार के नाम से नोटिस तामिला किया गया। देनदार साधु राम पिंगुवा, पिता- स्व० राजचन्द्र पिंगुवा ग्राम- खड़बन्ध थाना- कुमारडुँगी,, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड का केस सं० 98(Adv)/70-71 कुल-10615.65 राशि की वसूली कर ली गयी है। अतः अभिलेख की आगे की कार्रवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: center;"> नीलाम पत्र पदाधिकारी, कुमारडुँगी।</p>	